बस और डंपर की टक्कर से दो दर्जन से अधिक विद्यार्थी घायल

सात विद्यार्थियों को गंभीर स्थिति के चलते जिला चिकित्सालय रैफर किया

नदबई, (निस)। कस्बे में नगर रोड स्थित बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया। जब सुबह करीब 8.30 पर निजी विद्यालय के विद्यार्थियों को ले जा रही बाल-वाहिनी गिट्टी से भरे डम्पर से टकरा गई। हादसे में बस चालक सहित दो दर्जन से अधिक विद्यार्थी घायल हो गए। घायलों को नदबई कस्बे की सीएचसी पर भर्ती कराया। बाद में 7 विद्यार्थियों को गंभीर स्थिति के चलते जिला चिकित्सालय रैफर कर दिया गया।

विभागीय सूत्रों के अनुसार बाल वाहिनी चालक कस्बे के निजी विद्यालय की बस में अलग-अलग गांवों से विद्यार्थियों को लेकर स्कूल आ रहा था। इसी दौरान बाईपास के समीप गिट्टी से भरे डम्पर से बाल वाहिनी की भिड़न्त हो गई। हादसा इतना भयंकर हुआ कि बाल वाहिनी बस के सामने का हिस्सा पूरी तरह से चूकनाचूर हो गया। साथ ही बस में सवार बच्चों की चीख पुकार शुरु हो गई।

शोर मचता देख समीपवर्ती लोगों ने मशक्कत कर अलग-अलग वाहनों से घायलों को सीएचसी पर भर्ती कराया। जहां से करीब 7 विद्यार्थियों को गंभीर स्थिति में जिला चिकित्सालय रैफर कर दिया गया। उधर, दो दर्जन से अधिक विद्यार्थियों के घायल होने की सूचना पर सीएचसी परिसर में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर एसडीएम सिद्वार्थ पलानीचामी ने मौके पर पहुंच घायल विद्यार्थियों की कुशलक्षेम ली। साथ ही सीएचसी पर घायल विद्यार्थियों का उचित उपचार के निर्देश दिए। हादसे में चालक सहित लालपुर निवासी छवि पुत्री राजेश व सुहानी पुत्री देशराज,अग्निपुरा निवासी अंजलि पुत्री भरतराम, अनूप पुत्र भरतराम, राघव पुत्र जयसिंह, हेमंत पुत्र काशी, विशाल पुत्र काशी, अमन पुत्र भरतराज, आंकाक्षा पुत्री बृजेन्द्र, अनूप पुत्र बृजेन्द्र, वीनेश पुत्र दुर्गेश, करीली नितिन पुत्र बबलू, ऊँच निवासी मनोज पुत्र महावीर, रौनीजा निवासी छवि पुत्री दिग्विजय सिंह, विशाल पुत्र महावीर करीली, राघव पुत्र जयसिंह, उमेश पुत्र देशराज, अनूप पुत्र वीरेन्द्र, शकुन्तला पुत्री प्रेमसिंह, हेमंत पुत्र काशी, छवि पुत्री दिग्विजय सिंह, जयसिंह पुत्र कौशलेन्द्र, विशाल पुत्र महेन्द्र, ग्यानेन्द्री पुत्री धर्मसिंह सहित अन्य विद्यार्थी घायल हो गये।

हादसे में घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा उपचार शुरू किया।

■ सूचना पर एसडीएम ने मौके पर पहुंच घायल विद्यार्थियों की कुशलक्षेम ली

राजसमंद में कड़ाके की ठंड जारी, तापमान 2 डिग्री

दिनभर गलन से रहे परेशान, कल से राहत की उम्मीद

राजसमंद के डीप्टी गांव में लगातार तेज पड़ रही सर्दी के बाद पाले से खराब हुई पपीता की फसल।

राजसमंद, (निसं)। कड़ाके की सर्दी होने से शहरवासी दिनभर धूप सेंकते रहे। धूप से हटने का मन नहीं कर रहा था। धूप तीखी होने के बावजूद तेज हवा के झौंके शरीर में सिहरन पैदा कर रहे थे। शाम ढलने के बाद पारा तेजी से नीचे आने से जल्द ही सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा। शहर में जिला कलेक्ट्रेट रोड रात नौ बजे के बाद सूनी सी हो गई। मुख्य मार्गों पर भी रात होते ही आवाजाही बहुत कम हो गई। सुबह लोगों की दिनचर्या दिन चढने के बाद ही आरम्भ हुई। व्यापारिक प्रतिष्ठान भी देरी से खुले।

लोगों ने सर्दी से बचने की जुगत में भारी भरकम ऊनी लबादों का सहारा लिया। शहरवासियों ने सुबह सड़कों व बाजारों में चहलकदमी करते हुए जगह-जगह अलाव तापकर सर्दी से बचने का जतन किया। शहर के नौचौकी, जेके गार्डन, एरीगेशन की पाल में निरंतर चल रही शीतलहर के बीच सैर-सपाटे को आए शहरवासियों ने दिन के समय भी गर्म कपडों के सहारे वॉकिंग व कसरत किए। लोग घरों की छतों, सडकों के किनारें धूप का सेवन करते देखे गए।

जिले में कडाके की सर्दी का जोर जारी है। हालांकि गत चार दिनों के मुकाबले बुधवार को तापमान में इजाफा हुआ। शहर में बुधवार को अधिकतम तापमान एक डिग्री की बढत के साथ 21 डिग्री सेल्सीयस तथा न्यूनतम तापमान में ढेड डिग्री की कमी के साथ 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे दो दिन पूर्व रात का पारा माईनस 0.5 डिग्री था। शहर में सुबह दस बजे तक सर्दी का जोर था। सूर्यदेव के दर्शन देने के बाद लोगों को कुछ राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार वैसे तो तापमान में बढोतरी बुधवार से ही शुरू हो गई है, लेकिन शीतलहर व पाले से राहत गुरुवार से मिलने की संभावना है। आगामी दिनों में दो बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में मौसम में बदलाव होने व न्यूनतम तापमान में बढोतरी होने की संभावना है। पहला पश्चिमी विक्षोभ 20-21 जनवरी को प्रभावी होगा।

बीकानेर में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

बीकानेर, (कासं)। तापमान में बढ़ोतरी से राहत मिली है लेकिन रात में बीकानेर की सड़कें सूनी ही नजर आ रही है। बीकानेर में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही सर्दी पूरी तरह गायब हो गई है। न्यूनतम तापमान ही 7.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जबकि अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक अब अगले पांच दिन बीकानेर में कड़ाके की सर्दी जैसे हालात नहीं होंगे। दरअसल विभाग ने कोई चेतावनी बीकानेर के लिए नहीं दी है।

पिछले दिनों 15 जनवरी से बीकानेर में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पर था लेकिन अब इसमें सात डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो गई है। तापमान में कमी आने के साथ ही अब स्कूलों का समय भी पूर्व की तरह हो गया है। हालांकि अधिकांश प्राइवेट स्कूल्स ने अपने समय में परिवर्तन नहीं किया है। अधिकांश प्राइवेट स्कूल सुबह नौ बजे से तीन बजे या फिर चार बजे से तीन बजे के बीच ही संचालित हो रहे हैं। सर्दी से पूरी तरह निजात मिलने के बाद ही अब प्राइवेट स्कूल्स में समय में बदलाव हो सकता है। बीकानेर में भले ही सर्दी कम हो गई लेकिन निकटवर्ती जिले चूरू में पारा अब भी माइनस से ऊपर नहीं आ पाया। चूरू में पिछली रात तापमान माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस था।

नकदी चुराने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। सराड़ा थाना पुलिस ने मंदिर के दानपात्र का ताला तोड़ कर नकदी चोरी करने वाले को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार फुलशंकर निवासी नठाराफला सराडा ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मैं, भीमा, सोहन व गणेश हम चारों मन्दिर पर दर्शन करने गये। जहाँ मन्दिर परिसर में पहुंचे कि इतने में एक लड़का मन्दिर से निकलकर भागा जो हमारे गाँव का रहने वाला है तथा उसका नाम नरेन्द्र है। मंदिर में देखा तो दानपेटी टुटी हुई थी तथा नकदी गायब थी। सराडा थानाधिकारी ने नरेन्द्रसिंह को गिरफ्तार किया।

हाईकोर्ट ने टोंक कलेक्टर और एस.डी.एम. को नोटिस जारी किया

मालपुरा, (निसं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को अदालती आदेशों के बावजूद चांदसेन ग्राम पंचायत के चरागाह से अतिक्रमण नहीं हटाये जाने से जुड़े मामले में टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल व मालपुरा एसडीएम रामकुमार वर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है।

वरिष्ठ न्यायधीश एम.एम. श्रीवास्तव व न्यायधीश गणेशराम मीणा की खण्डपीठ ने यह आदेश चांदसेन निवासी कन्हैयालाल व लालूराम कुमावत द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर की गई संयुक्त अवमानना याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिये।

अवमानना याचिका में बताया गया कि चांदसेन ग्राम पंचायत की चरागाह भूमि पर गांव के ही प्रभावशाली लोग अतिक्रमण कर कच्चे-पक्के निर्माण कर खेती कर रहे हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दे अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई लेकिन प्रभावशाली लोगों के चलते प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिस पर ग्रामीणों ने गतवर्ष हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने की गुहार की गई थी। जिस पर अदालत ने 14 सितम्बर 2022 को टोंक कलेक्टर व अन्य को दो माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे लेकिन अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाये गये। जिस पर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका दायर की गई। बुधवार को दायर याचिका सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है।

■ चांदसेन ग्राम पंचायत के चरागाह से अतिक्रमण नहीं हटाये जाने से जुड़ा मामला

मृतक के परिजनों को मुआवजे को लेकर बनी सहमति

करौली, (निसं)। करौली जिले के सपोटरा कस्बे में नाली खुदाई के दौरान 41 फीट ऊंचा शिव मंदिर गिरने का मामला में दिया जा रहा धरना बुधवार को देर शाम राजनेताओं व प्रशासन की हुई वार्ता के समाप्त हो गया।

सपोटरा कस्बे में शिव मंदिर गिरने के बाद महिला की हुई मौत पर लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी करने और लापरवाही करने का आरोप लगाया है। लोगों ने ठेकेदार पर जानबूझकर मंदिर गिराने का आरोप लगाया और मामले में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही मृतका के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए और घायलों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा एवं टूटे मंदिर का पुनर्निर्माण और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ-साथ लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। घटना के दूसरे दिन बुधवार को अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष मूलचन्द गुप्ता सहित भाजपा जिला अध्यक्ष बृजलाल डिकोलिया के अलावा सर्व समाज के लोग और भाजपा के कार्यकर्ता मृतक परिवार के घर के बाहर शव रखकर धरने पर बैठ गए।

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुरलीधर प्रतिहार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश जैफ, करौली पुलिस उपाधीक्षक दीपक गर्ग सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे जहां उन्होंने लोगों के द्वारा की जा रही मांगों को लेकर चर्चा करते हुए कुछ मांगों को राज्य सरकार के स्तर की बताते हुए कहा कि सरकार को अवगत करा देंगे इस पर धरना देकर बैठे लोग मौके पर ही मांगों के निराकरण पर अड़े रहे जिसको देखते हुए वार्ता विफल हो गई। दोपहर बाद राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ सपोटरा पहुंचे जहां उन्होंने मृतक परिवार के सदस्यों को ढांढस बांधते हुए धरने पर बैठ गए इस दौरान 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता हुई इस दौरान तय हुआ कि मृतक के बच्चे को संविदा पर नौकरी दी जायेगी एवं 10 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से एवं 11 लाख रुपये करौली जिला भाजपा की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में दिये जायेंगे। इस दौरान डॉ. किरोडी लाल मीणा ने कहा कि समाज के लोग अगर इसे मंजूर करते है तो ठीक है नहीं तो हम जिले भर के भाजपा कार्यकर्ता के साथ धरने पर बैठे रहेंगे।

ज्ञात रहे कि गत दिन मंगलवार को सपोटरा कस्बे में जेसीबी की टक्कर से एक शिव मंदिर गिर गया था हादसे के दौरान मंदिर में पूजा कर रही दो महिलाएं और एक पुरुष मलबे में दब गए मौके पर मौजूद लोगों ने महिलाओं को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया दोनों महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रैफर कर दिया। इस दौरान जयपुर ले जाते समय रास्ते में एक महिला ने दम तोड़ दिया था।

सपोटरा में चल रहे धरने के दौरान राज सभा सांसद डॉ. किरोडी लाल मीणा (बीच में) उपस्थित रहे।

■ सपोटरा में मुआवजे को लेकर दिया जा रहा धरना समाप्त

दुष्कर्म करने वाले दो गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतापनगर थानाधिकारी दर्शनसिंह ने गत दिनों युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी किशनलाल उर्फ विक्की पुत्र रूपाराम रेगर तथा उसके साथी पंकज कुमार पुत्र सोहनलाल खोईवाली खटीक को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार पीडिता ने आरोपी वीकी मोगिया तथा उसके मित्र सावलियाजी चिकित्सालय में कार्यरत पंकज खटीक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया कि एक वर्ष पूर्व आरोपी वीकी मुझे अपने साथ स्कूटी पर बिठा कर सूरजपोल स्थित होटल में ले गया। जहां उसने पानी पिलाया। कुछ समय बाद अचेत होने पर आरोपी ने मेरे साथ दुष्कर्म किया तथा फोटों खीच लिए। होश में आने पर इसका पता चला। एतराज किया तो आरोपी ने ब्लेकमेल करना शुरू कर दिया। इस पर आरोपी के मित्र पंकज खटीक ने भी मार्च 2022 में मेरे साथ दुष्कर्म किया।

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर में पिछले साल 20 फरवरी को 3 साल की मासूम का रेप करने वाले आरोपी को विशिष्ट न्यायाधीश संख्या एक (पॉक्सो कोर्ट) देवेंद्र नागर ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया कि पिछले साल 20 फरवरी को शहर के एक थाना क्षेत्र में किराए के कमरे में रहने वाली 3 साल की मासूम के साथ उसके ही पड़ोस में किराए पर रहने वाले परबतसर निवासी हनुमान उर्फ बापू (39) ने रेप किया था। मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़कर धुनाई कर दी थी। पुलिस ने मासूम व घायल आरोपी को एमजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 3 साल की मासूम के साथ रेप के मामले में फैसला सुनाते हुए जज देवेंद्र सिंह नागर ने कहा कि समाज में रेप संबंधी अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे आज भारतीय समाज में महिलाओं व बालिकाओं की अस्मत की सुरक्षा पर गंभीर संकट हो गया है। ऐसी स्थिति में नाबालिग पीड़िता के साथ रेप का अपराध गंभीर है। इसे समाज की अंतर चेतना व सामाजिक शांति पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। तत्कालीन थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने चार्जशीट पेश करने के साथ साथ पिछले 11 महीने में आरोपी के खिलाफ 40 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए। उन्हीं को आधार मानते हुए कोर्ट ने 3 साल की मासूम का रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

■ आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

11 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी पाउडर के साथ तस्कर गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों पर अवैध मादक पदार्थ तस्करी व तस्कारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को दरगाह थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 11 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी पाउडर के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 11 ग्राम एमडी पाउडर व दो माबाइल जप्त किए हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच गंज थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह को सौंपी है। इसी प्रकार रूपनगढ़ थाना पुलिस ने नाकेबंदी कर कार्रवाई करते हुए सवा किलो गांजे के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और मोटरसाइकिल व गांजा जब्त कर लिया। पुलिस आरोपियों से मादक पदार्थ गांजा कहां से लाना और कहां सप्लाई करना था इसकी जांच में जुटी है। मामले की जांच बोराड़ा थाना प्रभारी को सौंपी गई है।

दरगाह थाना प्रभारी अमर सिंह भाटी ने बताया कि एसपी चूनाराम जाट के दिशा निर्देशों पर चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ तस्करी व तस्कारों के खिलाफ अभियान के तहत दरगाह थाने का गश्ती दल गश्त करता हुआ करीब ढ ाई बजे धानमंडी से लाखन कोटडी जाने वाले रास्ते पर पहुंचा तो एक संदिग्ध व्यक्ति सामने से आता हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर अचानक से तेज कदमों से जाने लगा, जिस पर पुलिस को शक होने पर उसका पीछा किया और उसको रोका और नाम पता पूछा, जिस पर उसने अपना हाशमी मंजिल हाशमी चौक दरगाह निवासी सैयद तस्बबुर हासमी पुत्र सैयद तकी हासमी बताया,जब उससे छुपने का कारण पूछा तो अलग अलग बातें करना लगा, जिस पर शक होने पर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पायजामें की जेब में एक रियलमी कम्पनी का गहरे नीले रंग का मोबाइल फोन व दूसरी जेब में वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन के साथ एक सफेद रंग की प्लास्टिक की छोटी पन्नी पाउडर नुमा पदार्थ से भरी मिली, जब उसका खोला तो सफेद रंग का दानेदार व पाउडरनुमा पदार्थ भरा हुआ मिला, जिसके बारे में सैयद तस्बबुर हासमी से पूछा तो घबराकर थैली में एमडी होना बताया। पुलिस ने जब उसे सूंघा तो अनुभव के आधार पर वह अवैध मादक पदार्थ एमडी मेफेड्रोन होना पाया। पुलिस ने जब युवक से एमडी पदार्थ को अपने कब्जे में रखने बाबत लाइसेंन्स व परमिट मांगा तो सैयद तस्बबुर हासमी ने अपने पास कोई लाइसेन्स व परमिट नहीं होना बताया, जिस पर पुलिस ने जप्त अवैध मादक पदार्थ एमडी का वजन कराया तो थैली सहित कुल वजन 11.30 ग्राम हुआ।

पिता ने नाबालिक से दुष्कर्म किया

करौली, (निसं.)। एक कलयुगी पिता ने अपनी ही एक 14 वर्षीय बालिका से कई बार दुष्कर्म किया जिसको लेकर बालिका ने अपने पिता के विरुद्ध महिला थाने पर मामला दर्ज कराया है वहीं बालिका का करौली के अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना मासलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक 14 वर्षीय बालिका के साथ उसका पिता काफी लंबे समय से दुष्कर्म करता चला आ रहा था। कई बार उसके पिता ने गांव के ही घर में बालिका से दुष्कर्म किया और उसके बाद मेहनत मजदूरी करने के लिए कोयंबटूर चेन्नई चला गया।

इस दौरान वह बालिका को भी साथ ले गया, जहां भी कई बार उसने बालिका से दुष्कर्म किया और मकर संक्रांति के दौरान वह गांव आ गए। बालिका की तबीयत खराब होने पर उसे करौली अस्पताल में भर्ती कराया। जहां बालिका ने अपने ही पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए महिला थाना पुलिस को रिपोर्ट दी। बताया जा रहा है कि नाबालिग बालिका का पिता कोयंबटूर में मार्बल कटिंग का काम करता है।

'आगामी सत्र से नीट परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों को पशु चिकित्सा स्नातक में प्रवेश मिलेगा'

वैटरनैरी विश्वविद्यालय की 28वीं प्रबंध मण्डल की बैठक में निर्णय लिया

बीकानेर, (निसं)। वैटरनैरी विश्वविद्यालय की 28वीं प्रबंध मण्डल की बैठक बुधवार को कुलपति प्रो. सतीश के गर्ग की अध्यक्षता में कुलपति सचिवालय में आयोजित की गई। प्रदेश के वेटरनरी महाविद्यालयों में वेटरनरी स्नातक (पशु चिकित्सा) पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश आगामी सत्र से नीट के माध्यम से किये जाएगे इसका निर्णय आज की बैठक में किया गया। पी.जी. एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश का भी रास्ता खुला। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

बैठक में वेटरनरी होम्योपैथिक मेडिसिन के क्षेत्र मे फील्ड पशुचिकित्सकों हेतु प्रशिक्षण एवं सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की सहमती इस बैठक में व्यक्त कर गई तथा होम्योपैथिक मेडिसिन का पशुचिकित्सा के क्षेत्र में शोध करने हेतु सुझाव दिया गया। प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के चार शिक्षकों की सहायक आचार्य से सह-आचार्य एवं एक को उपपुस्तकालय अध्यक्ष से पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत करने का अनुमोदन किया गया। प्रबन्ध मण्डल ने सत्र 2022-23 की आर.पी.वी.टी के तहत बी.वी.एस.सी. एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम में भर्ती हेतु पूर्ण प्रक्रिया एवं डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में सत्र 2022-23 प्रथम वर्ष बी.टेक. (डेयरी टेक्नोलॉजी) प्रवेश परीक्षा 'जेट-2022' की पूर्ण प्रक्रिया का अनुमोदन किया। इसके अलावा बैठक में गत अकादमिक परिषद, ऑफिसर काउंसिल एवं वित्तीय समिति एवं प्रबन्ध मण्डल के बैठक के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा एवं अनुमोदन किया गया।

बैठक में विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त व पेन्शनर शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना (आर.जी.एच.एस.) की औपचारिकता को पूर्ण कर उसे शीघ्र लागू करने के निर्णय का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में कुलसचिव अरूण प्रकाश शर्मा द्वारा बैठक में एजेण्डे प्रस्तुत किए गए तथा प्रबन्ध मंडल के सदस्यों द्वारा विभिन्न एजेन्डों का अनुमोदन किया गया। बैठक में प्रबंध मण्डल के सदस्य प्रो. ए.के. गहलोत (संस्थापक एवं पूर्व कुलपति), प्रो. पी.के. शुक्ला (मथुरा), कृष्णा सोलंकी (जयपुर), पुरखाराम (प्रगतिशील पशुपालक), डॉ. ओम प्रकाश (आर.सी.डी.एफ. प्रतिनिधि), डॉ. विरेन्द्र नेत्रा (संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बीकानेर), डॉ. गीता बेनिवाल (उपनिदेशक पशुपालन), प्रो. ए.पी. सिंह, डॉ. हेमन्त दाधीच एवं वित्त नियन्त्रक बनवारी लाल सर्वा उपस्थित रहे।

वैटरनैरी विवि. की 28वीं प्रबंध मण्डल की बैठक को कुलपति प्रो. सतीश के गर्ग ने सम्बोधित किया।